न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 43/2018

अपीलान्ट्स

रूपाराम पुत्र अचलाजी, जाति जाट, निवासी– सारण नगर, राजसागर, ग्राम चामु, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का चामु, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
2. गोरखाराम पुत्र भुराराम
3. धन्नाराम पुत्र भुराराम
4. गेनाराम पुत्र भुराराम
5. केसू पुत्र देवा
6. मुकना पुत्र देवाराम
7. हुकमा पुत्र देवा फौत के कायम मुकाम
   - 7/1 वीरमाराम पुत्र हुकमा
   - 7/2 माडू पुत्र हुकमा
   - 7/3 फूसू पुत्री हुकमा (फौत)
   - 7/4 गेरो पुत्री हुकमा
   - 7/5 केसू पत्नी हुकमा
8. प्रभु पुत्र देवा
9. मांगीलाल पुत्र रतना
10. मनूराम पुत्र रतना
11. रखाराम पुत्र नाथुराम

    सभी जातियान जाट, निवासीगण सारणनगर, राजसागर, ग्राम चामु, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
12. सरपंच ग्राम पंचायत राजसागर, चामु, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आदेश दिनांक 01.08.2018 पारित द्वारा श्रीमान तहसीलदार (भू0अ0) बालेसर जिला जोधपुर द्वारा अन्तर्गत दिवानी विविध प्रकरण संख्या 01/2018 बअनवान सरकार जरिये पटवारी हल्का चामू बनाम गोरखाराम वगैराह में रास्ते से सम्बन्धित आदेश पारित किया गया के विरूद्ध।

———

उपस्थिति

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री मनोहरसिंह राठौड़ उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट्स तामिल बावजूद कोई उपस्थित नहीं।

—: आदेश :— दिनांक :—14.10.2019

अपीलान्ट अभिभाषक ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आदेश दिनांक 01.08.2018 पारित द्वारा श्रीमान तहसीलदार (भू0अ0) बालेसर जिला जोधपुर द्वारा अन्तर्गत दिवानी विविध प्रकरण संख्या 01/2018 बअनवान सरकार जरिये पटवारी हल्का चामू बनाम गोरखाराम वगैराह में रास्ते से सम्बन्धित आदेश पारित किया गया के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी हल्का चामु ने गोरखाराम वगैराह को पक्षकार बनाते हुए एक प्रार्थना—पत्र धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार के समक्ष ग्रामवासी सारणनगर की ओर से प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि रूपाराम पुत्र अचलाराम ने रास्ता बन्द कर दिया है। तहसीलदार महोदय द्वारा जांच भू—अभिलेख निरीक्षक चामु व पटवारी हल्का से करवाई गई। जांच रिपोर्ट में बताया कि ग्राम सारणनगर के खसरा संख्या 1667 में रास्ता चल रहा था जिसे बन्द कर दिया गया है। इस पर प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर दिनांक 01.08.2018 मुकर्रर की गई। दिनांक 01.08.2018 को अन्य अप्रार्थीगण यहां तक की स्वयं ग्राम पंचायत सरपंच भी गैर हाजिर रहे जिनकी अनुपस्थिति दर्ज करते हुए अपीलार्थी को सुना गया और आलौच्य आदेश गलत तथ्यों के आधारित प्रस्तुत किया गया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर पंजीबद्ध कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स को विधिवत् नोटिस तामिल होने के बावजूद अनुपस्थित। प्रकरण में अपीलान्ट अभिभाषक की बहस दिनांक 16.09.2019 को सुनी जाकर पत्रावली निर्णय हेतु रखी गयी।

अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि खसरा नं0 1667 कुल रकबा 155.06 बीघा ग्राम सारणनगर में आई हुई है जिसमें अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट्स की आधी—आधी हक—हिस्से व खातेदारी की भूमि है, जिनके दोनों बराबर हिस्से के बीच में से अपीलार्थी के व सहखातेदार के खेत की सीमा के पास यानि दोनों के विभाजित हिस्से की माठों पर से रास्ता कदिम से विध्यमान चलता था उस रास्ते पर बाद में वर्ष 2007 के करीब ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं ग्रेवल सड़क के रूप में उस पर आवागमन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से मुढ डालकर रास्ते को सही किया गया जो मुड आज भी उस रास्ते पर पड़ा है। दिनांक 22.10.2018 की पटवारी मौका—फर्द अनुसार राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा नं0 1667 में कटाणी रास्ता दर्ज नहीं है। मौके पर ख0 न0 1667

के बीच में पूर्व में ग्रेवल डालकर सड़क बनायी हुई है। वर्तमान में लम्बे समय से उक्त ग्रेवल सड़क का उपयोग नहीं होने के कारण बंद पड़ी है। अतः ख0 न0 1667 के सहखातेदार रूपाराम के हिस्से में से वर्तमान में रास्ता चालू होने के कारण उक्त रास्ते को रूपाराम द्वारा बंद करने पर श्रीमान तहसीलदार बालेसर के आदेशानुसार रास्ता खुलवाया गया। उक्त रिपोर्ट से पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि पहले ग्रेवल सड़क का उपयोग पूर्व में किया जा रहा था और मेरे द्वारा कभी भी उस पर अतिक्रमण नहीं किया गया। तहसीलदार बालेसर द्वारा जिस भूमि बाबत आदेश पारित किया गया है वह मेरी खातेदार भूमि है। राजस्व मण्डल ने 1994 आर0 आर0 डी0 पेज 152 ''दामोदर बनाम ग्राम बाहरोली व अन्य'' के विनिश्चय में प्रतिपादित किया कि धारा 251 अधिनियम के अधीन भूमिधारी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन–पत्र पर तहसीलदार या ग्राम पंचायत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उत्पन्न की गई बाधा को हटा सकती है, यदि उक्त बाधा उस भूमिधारी के रास्ते के उपभोग में आती है। मगर धारा 251 अधिनियम तहसीलदार या ग्राम पंचायत को कोई रास्ता निकाले जाने अथवा आम रास्ता जो आबादी क्षेत्र में है, पर की गई बाधा को हटाये जाने का अधिकार नहीं देता। यहां यह भी स्पष्ट कर देना उचित होगा कि पक्षकारान की साक्ष्य के आधार पर भी तहसीलदार या ग्राम पंचायत धारा 251 अधिनियम के अधीन कोई नया रास्ता प्रस्तावित नहीं कर सकती, जैसा वर्तमान प्रकरण में तहसीलदार द्वारा किया गया है।

अपीलान्ट अभिभाषक का कथन है कि पटवारी द्वारा मौका–फर्द में जिसे ग्रेवल सड़क का उल्लेख किया गया है उस सड़क का लम्बे समय से उपयोग नहीं होने पर रेस्पोडेन्ट्स ने उस रास्ते की भूमि को अपनी भूमि में मिला लिया तथा अपीलार्थी सहखातेदार रूपाराम के हिस्से की भूमि में से गलत रास्ता दर्शाते हुए नया रास्ता निकालने की गलत कार्यवाही अमल में आई गई ऐसे में आलौच्य आदेश काबिले अपास्त किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अध्ययन किया और अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रेकर्ड का भी अवलोकन किया। इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि दिनांक 22.10.2018 की पटवारी मौका–फर्द अनुसार राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा नं0 1667 में कटाणी रास्ता दर्ज नहीं है। मौके पर ख0 न0 1667 के बीच में पूर्व में ग्रेवल डालकर सड़क बनायी हुई है। वर्तमान में लम्बे समय से उक्त ग्रेवल सड़क का उपयोग नहीं होने के कारण बंद पड़ी है। अतः ख0 न0 1667 के सहखातेदार रूपाराम के हिस्से में से वर्तमान में रास्ता चालू होने के

कारण उक्त रास्ते को रूपाराम द्वारा बंद करने पर तहसीलदार बालेसर के आदेशानुसार रास्ता खुलवाया गया। जिस रास्ते के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया पटवारी की मौका फर्द के अनुसार रूपाराम पुत्र अचलाजी उस भूमि के सहखातेदार है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश एतद् निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मौके की वास्तविक रिपोर्ट तलब कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः नये सिरे से आदेश पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2019.11.27 19:19:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: